

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F.3(25)/Fin(Rev-I)/2015-2016/dsvi/954

Dated: 18/12/15

NOTIFICATION

No.F.3(25)/Fin(Rev-I)/2015-2016 .- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules further to amend the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of rule 7.-** In the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as the principal Rules), in rule 7,-

(i) in sub-rule (1), in clause (b), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“ Provided that in case of following goods, the tax credit shall be reduced by 100 percents:

- (i) Un-manufactured tobacco, tobacco and tobacco products in all forms such as cigarettes (irrespective of form and length), chewing tobacco, gutkha, cigars, hooka tobacco, khaini, zarda, surti, bidis etc.;
- (ii) All kinds of lubricants. ” ; and

(ii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) For the purposes of sub-section (10) of section 9 and sub-section (3) of section 10, in case of following goods, the tax credit shall be reduced by {(R-2)100/R} percents, where R is the rate of tax applicable as per section 4:

- (i) Un-manufactured tobacco, tobacco and tobacco products in all forms such as cigarettes (irrespective of form and length), chewing tobacco, gutkha, cigars, hooka tobacco, khaini, zarda, surti, bidis etc.;
- (ii) All kinds of lubricants. ” .

Please upload the notification on website urgently.

ACC (system)

APC (Shir)

18/12/15

JDC (H)

APC (Shir)

18/12/15

18/12/2015

8428/sys  
18/12/15

1643-P  
18/12/15

3. **Amendment of rule 43.**-In the principal Rules, in rule 43, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The owner, driver or person in charge of the goods vehicle shall carry the Transport Receipt in Form DVAT-32, sale invoice or delivery note in Form DVAT-33, export declaration in Form DVAT-34 or import declaration in Form DVAT-35 or transit slip in Form DVAT 35A, as the case may be and any other document as may be required by the Commissioner by way of a notification in the Official Gazette in the form and manner as specified in such notification.”.

By order and in the name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

(A.K. Singh)  
Dy. Secretary VI (Finance)

No.F.3(25)/Fin(Rev-I)/2015-2016/dsvi/ 959

Dated: 18/12/15

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
3. Pr. Secy(Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
5. Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi
6. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.A. to Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Sectt. Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
10. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
- ✓ 11. VAT Officer<sup>3</sup>(Policy), Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi.
12. Guard File.
13. Website

(A.K.SINGH)  
Dy. Secretary VI (Finance)



(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
वित्त (राजस्व-1) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.एफ. 3(25)/वित्त/(राजस्व-1)/2015-16 / डीएस-VI/ 954

दिनांक 18/12/2015

अधिसूचना

सं.एफ. 3(25)/वित्त/(राजस्व-1)/2015-16 / .- दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 का पुनः संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .- (1) इस नियमावली को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जा सकेगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी समझा जायेगा।

2. नियम 7 का संशोधन :-दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005, (इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 7 में, -

- (i) उपनियम (1) में, खंड (ख) में, विद्यमान परन्तुक के लिये निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“उपबंध है कि निम्नलिखित वस्तुओं के मामले में कर क्रेडिट 100प्रतिशत कम किया जायेगा:

- (i) अनिर्मित तम्बाकु, तम्बाकु तथा सभी रूपों में तम्बाकु उत्पादों जैसे सिगरेट (रूप तथा लंबाई को ध्यान में रखे बिना) चबाने वाला तम्बाकु, गुटखा, सिगार, हुक्का तम्बाकु, खैनी, जर्दा, सुरती, बीड़ी इत्यादि;

- (ii) सभी प्रकार के लूब्रीकेंट”; तथा

- (ii) उपनियम (5) के लिये निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(5) धारा 9 की उपधारा (10) तथा धारा 10 की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित वस्तुओं के मामले में कर क्रेडिट {(आर-2)100/आर} प्रतिशत कम किया जायेगा, जहां धारा 4 के अनुसार लागू कर की दर आर है”।

(i) अनिर्मित तम्बाकु, तम्बाकु तथा सभी रूपों में तम्बाकु उत्पादों जैसे सिगरेट (रूप तथा लंबाई को ध्यान में रखे बिना) चबाने वाला तम्बाकु, गुटखा, सिगार, हुक्का तम्बाकु, खैनी, जर्दा, सुरती, बीड़ी इत्यादि;

(ii) सभी प्रकार के लूब्रीकेंट; तथा

3. धारा 43 का संशोधन :- मूल नियमावली के नियम 43 में, उपनियम (1) के लिये निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(1) माल वाहन के मालिक, चालक या प्रभारी व्यक्ति को फार्म डीवैट -32 में परिवहन रसीद, फार्म डीवैट-33 में बिक्री इन्वाइस या डिलीवरी नोट, फार्म डीवैट-34 में निर्यात घोषणा या फार्म डीवैट-35 में आयात घोषणा या फार्म डीवैट-35क में पारगमन रसीद रखनी होगी, जैसी भी स्थिति हो। शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से आयुक्त द्वारा ऐसी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रूप तथा तरीके में यथापेक्षित अन्य दस्तावेज रखने होंगे”।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(ए० के० सिंह)

उप- सचिव -VI (वित्त)

सं.एफ. 3(25)/वित्त/(राजस्व-1)/2015-16/डीएस-VI/ 954

दिनांक 18/11/2015

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
4. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
5. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
6. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
8. नि० सं० नेता प्रतिपक्ष, 29 दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
10. पंजीयक, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
11. वैट अधिकारी (नीति), व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
12. गार्ड फाईल।
13. वेबसाइट।

(ए० के० सिंह)

उप- सचिव -VI (वित्त)